

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम - 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

तहसीलदार, नीमकाथाना

बनाम

मुकाम नीमकाथाना

गै.मु.रास्ता (गोरधनपुरा)

(सत्यदेव सिंह के मकान से प्रहलाद सिंह के मकान तक)

किस्म मुकदमा :- गै0मु0 रास्ता धारा 131 व 132

मु0नं0 215 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/370

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुकम  
की तामील  
में जारी हुए

-2025

पत्रावली तहसीलदार, नीमकाथाना के पत्रांक राजस्व/2025/2409 दिनांक 20.05.2025 द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 में गैर मुमकिन रास्ता प्रस्ताव प्राप्त होने पर पेशी हुयी। पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार नीमकाथाना ने बताया कि उक्त प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू है, परन्तु राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं है। तहसीलदार, नीमकाथाना को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व (ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 3 (2) राज-6/2003/ पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 की पालना में तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने बाबत राजस्व ग्राम गोरधनपुरा पटवार मण्डल नयाबास तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 216 रकबा 0.35 हैक्ट. किस्म बारानी-1 मे से 0.0250 हैक्ट. में कुल 04 मीटर चौड़ा व 62.50 मीटर लम्बाई गै.मु.रास्ता सत्यदेव सिंह के मकान से प्रहलाद सिंह के मकान तक का प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना से मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस प्राप्त हुआ है। रास्ता मौके पर चालू होना एवं बारहमासी चलना बताया गया है। ग्राम पंचायत कोटड़ा का प्रस्ताव, अनापत्ति प्रमाण-पत्र, रास्ते के संलग्न जमाबन्दी, भू-नक्शा, गुगल नक्शा, फोटोग्राफ, प्रस्तावित प्रचलित रास्ता को बारहमासी व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता मानते हुए उक्त रास्ते को गै0मु0रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्तावित किया है। पत्रावली का अवलोकन व मौका निरीक्षण करने पर प्रस्तावित प्रचलित रास्ता मौके पर आवागमन हेतु चालू पाया गया। अतः जनहीत के आवागमन हेतु मौके पर चालू प्रचलित रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, व 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार, नीमकाथाना के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को



*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी

गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।  
संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार राजस्व अभिलेख में जरिए  
नामान्तकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की  
किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे एवं नक्शों में तरमीम की जावे।  
उक्त गै.मु.रास्ते का रकबा संबंधित खातेदारों की खातेदारी में ही रहेगा।  
तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का  
अभिन्न भाग रहेगा। तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु  
तहसीलदार, नीमकाथाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार  
होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



(राजवीर सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
उप-नीमकाथाना  
नीमकाथाना (राज.)